प्रपत्र–3

परियोजना का नाम :– जनपद पौड़ी गढ़वाल में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0 –1196/2016 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड्डा ब्लाक के पुलिण्डा –तच्छाली – स्यालिंगा मोटर मार्ग का नव निर्माण।(5.00कि0मी0)

परियोजना की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति का प्रमाण –पत्र

प्रस्तावित परियोजना हेतु निर्गत शासकीय वित्तीय/ प्रशासनिक स्वीकृति छाया की प्रति प्रमाणित कर संलग्न की गई है।

अवर सहायक अभियन्ता नि0खण्ड,लो0नि0वि0 दुगड्डा गढ़वाल।	सहायक अभियन्ता नि0खण्ड,लो0नि0वि0 दुगड्डा गढ़वाल।	अधिशासी अभियन्ता नि0खण्ड,लो0नि0वि0, दुगड्डा गढ़वाल।

12:01 HPFAX 2719925 Page 1

संख्या 2550/ III(2)/16-19(प्र0आ0)/2016

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे.

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक 04 अक्टूबर, 2016

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 में विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों के अन्तर्गत 02 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता क्षे0का0, लो0नि0वि0, देहरादून /पौड़ी द्वारा संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये 02 कार्यों के प्रथम चरण के आगणनों, जिनकी लम्बाई 5.20 किमी लागत ₹ 61.00 लाख है, पर विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 61.00 लाख (₹ इकसठ लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात कुल 02 कार्यों हेतु ₹ 0.20 (₹ बीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:-1764/III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद मे किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय मे समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणन मे एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण-00

Photocopy attested
Photocopy attested

Photocopy attested

-24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित तथा निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

(ix)- स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)- वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2017 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-815(A)/XXVII/(2)/2016 दिनांक 30 सितम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
प्रभारी सचिव

संख्या- 2550 /।।(2)/16-19(प्रा0सा0)/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, चमोली/देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता, क्षे0का0, लो0नि0वि0, पौड़ी/देहरादून।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(ए0एस0 बांगती)
उप सचिव

Photocopy attested

Photo copy attested

Photo copy attested

संख्या– 2550 / III(2)/18–19(प्रा0नि0)/2018 दिनांक 04 अक्टूबर, 2018 का संलग्नक।

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (कि0मी0 में)	विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1	जनपद देहरादून के विकासखण्ड रायपुर के अन्तर्गत अम्बीवाला गुरुद्वारा (रिंग रोड़) दिव्य विहार नजदीक राजीव नगर देहरादून तक सड़क निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	0.20	0.20	0.10
2	मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा संख्या–1196/2015 के अन्तर्गत यमकेश्वर विधान सभा दुगड्डा ब्लॉक के पुलिण्डा तच्छाली स्यालिंगा मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	5.00	60.80	0.10
	कुल :–	5.20	61.00	0.20

(कुल ₹ बीस हजार मात्र)

Photo copy attested

Photocopy attested

Photo copy attested